27/01/2023

पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल श्याम उर्फ नैनाराम पुत्र हरीराम, जाति– मुंगीया वागरी, निवासी– 526 जनाना अस्पताल के पास, सिरोही, पुलिस थाना सिरोही उपस्थित। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री भगवत सिंह उपस्थित हुये। गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर सहायक अभियोजन अधिकारी व गैरसायल के वकील की बहस सुनी गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों ध्यान आकर्षित करते हुए गैरसालय को सिरोही जिले से छः माह की अवधि के लिये निष्कासित करने का अनुरोध किया। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि गैरसायल ने गैरसायल के विरुद्ध दर्ज धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के मुकदमों में ट्रायल से बचने के लिये लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करने के कारण गैरसायल को संबंधित न्यायालय ने दोष सिद्ध ठहराया है। गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 28.9.2022 के बाद कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है। गैरसायल ने कभी शांतिभंग

.....लगातार

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:34:05 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म	F.S.S.Act Case No.26/2022	इस हु.. व कीतामिल में जारी हुए

नही की है। गैरसायल गरीब व्यक्ति है जो मजदूरी कर अपना गुजारा कर रहा है। गैरसायल वर्तमान में किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नही है। गैरसायल ने कभी भी शांति भंग नही की है, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही को ड्रॉप किया जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल श्याम उर्फ नैनाराम पुत्र हीराराम, जाति– मुंगीया वागरी, निवासी– 526 जनाना अस्पताल के पास, सिरोही के विरुद्ध पुलिस थाना सिरोही में धारा 13 राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश के तहत अपराध संख्या 91 दिनांक 16.4.2010, 54/7.4.2017, 134/12.7.2017, 260/21.10.2021 व 317 दिनांक 28.9.2022 को दर्ज हुये। गैरसायल के विरुद्ध धारा 13 राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश के तहत दर्ज इन मुकदमों में बाद अनुसंधान संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये, जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोषसिद्ध ठहराया गया है। जिसमें उक्त अपराध संख्या 260 दिनांक 21.10.2021 व 317/28.9.2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं इन दोनों मुकदमों में प्रस्तुत आरोप पत्रों की प्रमाणित प्रति न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपराध संख्या 260 दिनांक 21.10.2021 व 317/28.9.2022 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 15.11.2021 व 12.10.2022 के द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। इससे स्पष्ट है कि कि गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(ट) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्डा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि गैरसायल जुआं संबंधी अपराधों में लिप्त रहा है।

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुऐ गैरसायल श्याम उर्फ नैनाराम पुत्र हरीराम, जाति– मुंगीया वागरी, निवासी– 526 जनाना अस्पताल के पास, सिरोही, जिला– सिरोही को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में 15 दिन की अवधि के लिये पुलिस थाना क्षेत्र, सिरोही से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के पुलिस थाना क्षेत्र, सिरोही की सीमा में प्रवेश नही करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नही करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पार्क आदि के आस–पास अपनी उपस्थित नही देगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तो का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। ... नम्बर से कम हो तथा निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस ... सिरोही को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:34:05 IST
Reason: SelfAttested

(के.आर.खौड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही